

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-21/2014-113(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 26-09-2014

प्रेषक,

रामजी सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :

मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, सहरसा के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2014-15 में 845.60 लाख रुपये (आठ करोड़ पैंतालीस लाख साठ हजार रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल 802.90 लाख रुपये (आठ करोड़ दो लाख नब्बे हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹8,02,90,000 (आठ करोड़ दो लाख नब्बे हजार रुपये) की राशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त शिष्यक स्वीकृत्यादेश संख्या-4186 दिनांक-09.09.2014 द्वारा मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, सहरसा के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2014-15 में 845.60 लाख रुपये सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन उक्त महाविद्यालय को 802.90 लाख रुपये (आठ करोड़ दो लाख नब्बे हजार रुपये) व्यय हेतु स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत तत्काल व्यय हेतु कुल ₹8,02,90,000 (आठ करोड़ दो लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

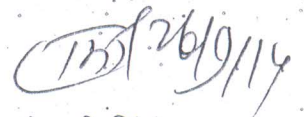
2. उपरोक्त ₹8,02,90,000 (आठ करोड़ दो लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-मार्ग सं०-1-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0108- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर विपत्र क्रोड-P2415012770108, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5042 में वर्ष 2014-15 में विषयशीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि 10,00,00,000 रुपये (दस करोड़) में से व्यय हेतु 5,00,00,000 रुपये (पाँच करोड़) तथा विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि 10,00,00,000 रुपये (दस करोड़) में से व्यय हेतु 3,02,90,000 रुपये (तीन करोड़ दो लाख नब्बे हजार) की निकासी वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल उपबंधित राशि 20,00,00,000 रुपये (बीस करोड़ रुपये) में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के वृत्त बांटे सी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

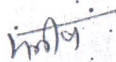
ज्ञापांक

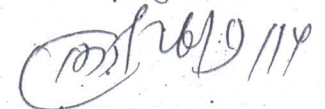
113(आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 26-09-2014

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।





सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

113 (आवृत्त)

/कृ०, पटना, दिनांक 26-09-2014

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर/प्राचार्य उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालन्दा/वित्त विभाग, (बजट-शाखा), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्यसन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(75/26/9/14)

सरकार के संयुक्त सचिव।